प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र. 3594/2004

याचिकाकर्ता : महिला स्वयं सहायता समूह, द्वारा अध्यक्ष श्रीमती प्रमीला, पति श्री सुमेश्वर, आयु लगभग 26 वर्ष, निवासी–ग्राम गंगोटी, तहसील–सूरजपुर, जिला सरगुजा(छ०ग०)।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण :

1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, खाद्य विभाग, डीकेएस भवन, रायपुर (छ०ग०)

2) कलेक्टर, सरगुजा (खाद्य), अंबिकापुर, सरगुजा (छ०ग०)

3) सहायक खाद्य अधिकारी–सूरजपुर जिला, सरगुजा।

4) आदिमजाति सेवा सहकारी समिति, सोनपुर (बंजा), द्वारा विक्रय अभिकर्ता अवधेश गुप्ता, पिता श्री राधेश्याम, आयु लगभग 27 वर्ष, गाँव सोनपुर, पोस्ट बरिया, तहः सूरजपुर, जिला–सरगुजा (छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति: : याचिकाकर्ता के लिए श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अधिवक्ता।

: राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 से 3 के लिए श्री एन. के. अग्रवाल, उप महाधिवक्ता

: उत्तरवादी क्र. 4 के लिए श्री ए. के. शुक्ला, अधिवक्ता ।

मौखिक आदेश

(दिनांक 31 मार्च, 2006 को पारित)

महिला स्वयं सहायता समूह, गंगोटी गांव, सूरजपुर तहसील, सरगुजा जिला, ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट

याचिका दायर की है, जिसमें सहायक खाद्य अधिकारी, सूरजपुर, यहां तृतीय उत्तरवादी के आदेश दिनांक 03–09–2004 की विधिमान्यता को प्रश्नाधीन किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता – सोसायटी को पूर्व में आवंटित उचित मूल्य की दुकान के आवंटन को आदेश दिनांक 28–07–2004 के तहत रद्द कर दिया गया था और इसे यहां चतुर्थ उत्तरवादी के पक्ष में आवंटित कर दिया गया था।

(2) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और उनके द्वारा दायर अभिवचनों का परिशीलन करने के बाद, मुझे एक स्पष्ट त्रुटि दृष्टिगोचर होती है जो तृतीय उत्तरवादी की आक्षेपित कार्रवाई को दोषपूर्ण बनाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) छत्तीसगढ़ खाद्य पदार्थ (वितरण और नियंत्रण) आदेश, 1960 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ (खाद्य पदार्थ) नागरिक आपूर्ति वितरण योजना, 2001 (संक्षेप में 'योजना') विरचित की है, याचिकाकर्ता–सोसायटी ने वर्ष 2004 में गंगोटी गांव में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए तृतीय उत्तरवादी को आवेदन प्रस्तुत किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि गंगोटी गाँव में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए कोई अन्य आवेदक नहीं था। तृतीय उत्तरवादी ने याचिकाकर्ता – सोसायटी के आवेदन पर विचार करते हुए अपने आदेश दिनांक 28–07–2004 द्वारा याचिकाकर्ता – सोसायटी को गंगोटी गांव में उचित मूल्य की दुकान आवंटित की। जब मामला ऐसा था, तो ऐसा प्रतीत होता है कि चतुर्थ उत्तरवादी ने योजना के उपखंड (2) में निहित प्राथमिकता के आधार पर गंगोटी गांव में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए तृतीय उत्तरवादी को आवेदन दिया था। उक्त आवेदन पर कार्यवाही करने वाले तृतीय उत्तरवादी ने और याचिकाकर्ता–सोसायटी को बिना किसी सूचना के, अपने आदेश दिनांक 03.09.2004 द्वारा, अपने पहले के

आदेश दिनांक 28.07.2004 को रद्द कर दिया और उसी दुकान को चतुर्थ उत्तरवादी –सोसाइटी के पक्ष में आवंटित कर दिया।

(4) पूर्वोक्त बताए गए तथ्यों और न्यायालय के समक्ष रखे गए अभिलेखों से पता चलता है कि दिनांक 28.04.2004 को, याचिकाकर्ता–सोसायटी के आवेदन के अलावा गंगोटी गांव में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी आवेदक नहीं था। इसलिए, तृतीय उत्तरवादी द्वारा उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए किसी व्यक्ति या सोसायटी को चुनने के लिए योजना के उप–खंड (2) में शामिल वरीयताओं को लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता के पक्ष में गंगोटी गाँव में उचित मूल्य की दुकान आवंटित करने में तृतीय उत्तरवादी की कार्रवाई–सोसायटी द्वारा उसके आदेश दिनांक 28.07.2004 को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। केवल इसलिए कि दिनांक 28.07.2004 के बाद, चतुर्थ उत्तरवादी – सोसायटी ने, यह मानते हुए भी कि सोसायटी याचिकाकर्ता – सोसायटी की तुलना में एक पसंदीदा सोसायटी है, उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया, यह तथ्य स्वयं तृतीय उत्तरवादी द्वारा पहले से दिए गए आदेश दिनांक 28.07.2004 को अमान्य नहीं करेगा। दूसरा, आक्षेपित आदेश की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और अनुच्छेद 14 के अभिधारणाओं का उल्लंघन करने के कारण निंदा की जानी चाहिए। दिनांक 28.07.2004 के आवंटन आदेश को रद्द करने से पहले याचिकाकर्ता सोसायटी को मामले में अपनी बात रखने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। प्रभावितों को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे संविधान के अनुच्छेद 14 से प्राप्त एक संवैधानिक सिद्धांत का पालन करें और इस नियम का उल्लंघन तृतीय उत्तरवादी–वैधानिक प्राधिकारी द्वारा किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) परिणामस्वरूप और पूर्वोक्त कारणों से, रिट याचिका स्वीकार जाती है और आदेश दिनांक 03.09.2004(अनुलग्नक आर – 2), जिसमें याचिकाकर्ता – सोसायटी के पक्ष में किए गए आबंटन आदेश दिनांक 28.07.2004 को रद्द किया गया है और चतुर्थ उत्तरवादी के पक्ष में उसी दुकान को आवंटित किया गया है, को अभिखंडित किया जाता है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

सुब्बु

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**